राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2392/2025

भगवान सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.03.2025
आदेश की दिनांक : 18.07.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर iii चयन ग्रेड का लाभ जारी करते समय उचित वेतनमान न देने के प्रत्यर्थी विभाग की कार्रवाई को चुनौती दे रहा है। अपीलार्थी को iii चयन ग्रेड दिए जाने के समय अपीलार्थी का मौजूदा वेतनमान 4000–6000 था और इस प्रकार वह 5000–8000 के वेतनमान में iii चयन ग्रेड का लाभ पाने का हकदार है, लेकिन उसे गलती से 5000–8000 के बजाय 4000–6000 का समान वेतनमान दिया गया। इसके अलावा प्रत्यर्थी की ओर से निष्क्रियता के कारण अपीलार्थी को कम वेतन और वेतनमान मिला और उसे कम सेवानिवृत्ति लाभ मिल रहे हैं। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी की नियुक्ति हेल्पर के पद पर 03.04.1979 को हुई थी। अपीलार्थी ने वर्ष 1988 में 09 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और उसे 25.1.1992 से, जिस तिथि से चयन वेतनमान लागू था, प्रथम चयन वेतनमान का लाभ दिया गया और उसे 25.1.1993 से अगले पदोन्नति पद का वेतनमान दिया गया। 09 वर्ष की सेवा पूरी करने पर, अपीलार्थी को 950–1680 का वेतनमान दिया गया। (अनुलग्नक–2) 18 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अपीलार्थी को अगले पदोन्नति पद के अगले उच्चतर वेतनमान अर्थात 4000–6000 में 3.4.1998 से द्वितीय चयन वेतनमान का लाभ भी दिया गया। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी को दिनांक 3.4.2007 से तृतीय चयन वेतनमान का लाभ

भी दिया गया था, किन्तु इस बार अपीलार्थी को वही वेतनमान दिया गया जो वेतनमान 4000–6000 में द्वितीय चयन वेतनमान का लाभ गलत तरीके से जारी करते समय दिया गया था। वित्त विभाग ने दिनांक 17.2.1998 को एक आदेश जारी कर चयन वेतनमान का लाभ जारी करते हुए वेतनमान प्रदान किया था। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी को 09 वर्ष की सेवा पूरी होने पर प्रथम चयन ग्रेड का लाभ प्रदान करते हुए 950–1680 का वेतनमान दिया गया था और बाद में उक्त 950–1680 के वेतनमान को संशोधित वेतनमान नियमों के अनुसार वर्ष 1997 में 3050–4590 के रूप में संशोधित किया गया। इसके अतिरिक्त, द्वितीय चयन ग्रेड का लाभ प्रदान करते समय अपीलार्थी का विद्यमान वेतनमान 3050–4590 था और इस प्रकार वह सही था। 4000–6000 के वेतनमान में द्वितीय चयन ग्रेड दिया गया है और तृतीय चयन ग्रेड दिए जाने के समय अपीलार्थी का मौजूदा वेतन 4000–6000 था और इस प्रकार अगला चयन ग्रेड वेतनमान 5000–8000 में दिया जाना था, लेकिन तृतीय चयन आधार प्रदान किए जाने के समय अपीलार्थी को गलत तरीके से 4000–6000 का समान वेतनमान दिया गया और इस प्रकार अपीलार्थी को निम्न वेतनमान दिया गया। अपीलार्थी वर्ष 2012 में सेवानिवृत्त हो गया था, लेकिन सेवानिवृत्ति के समय उसे उसी वेतन और वेतनमान पर सेवानिवृत्त किया गया था जो उसे सेवानिवृत्ति के समय मिल रहा था, इसलिए उसे कम सेवानिवृत्ति लाभ मिले। (अनुलग्नक–5) अपीलार्थी ने इस संबंध में एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया, लेकिन उसके अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। (अनुलग्नक–6)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी की 27 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 5000–8000 के वेतनमान में वेतन और वेतनमान निर्धारित किया जावे तथा तृतीय चयन ग्रेड का लाभ प्रदान किया जावे एवं सभी बकाया लाभों के साथ अपीलार्थी के सेवानिवृत्ति लाभों को भी तदनुसार संशोधित किए जाकर सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष